इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178] भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल 2017—वैशाख 6, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2017

क्र. 6836-86-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि..—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०१७

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक २४ अप्रैल, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २६ अप्रैल, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३४ में, उपधारा (२) में, शब्द "रजिस्ट्रीकृत" का लोप किया जाए.

धारा ४६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

(क) उपधारा (८) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "बारह कलैण्डर मास" के स्थान पर, शब्द "चौबीस कलैण्डर मास" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "अपील बोर्ड, प्रत्येक अपील का निपटारा, अपील फाइल करने की तारीख से दो कलैण्डर वर्ष के भीतर करेगा", के स्थान पर, शब्द "अपील बोर्ड, अपील फाइल करने की तारीख से एक कलैण्डर वर्ष के भीतर उसका लिखित में आदेश सुनाने का प्रयास करेगा" स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (८ ख) का लोप किया जाए;

(ग) उपधारा (९) में, शब्द "बारह कलैण्डर मास" के स्थान पर, शब्द "चौबीस कलैण्डर मास" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2017

क्र. 6836-86-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 of 2017

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2017.

[Received the assent of the Governor on the 24th April, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th April, 2017].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment), Act 2017.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 34.

2. In Section 34 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (2), the word "registered" shall be omitted.

Amendment of Section 46.

3. In Section 46 of the principal Act,—

(a) in sub-section (8),—

(i) In clause (a), for the words "twelve calendar months", the words "twenty four calendar months" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words "The Appellate Board shall dispose of every appeal within two calendar years from the date of filing of appeal", the words "The Appellate Board shall make an endeavor to pronounce its order in writing within one calendar year from the date of filing of appeal" shall be substituted;

(b) sub-section(8B) shall be omitted;

(c) in sub-section (9), for the words "twelve calendar months", the words "twenty four calendar months" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.